"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018 — चैत्र 7, शक 1940

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-14/खाद्य/2017/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित धारा 5 सहपठित भारत सरकार की अधिसूचना क्र. सा. का. नि. 800, दिनांक 9 जून, 1978 एवं क्र. सा. का. नि. 929 (अ), दिनांक 29-09-2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त आदेश में,-

पैराग्राफ 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"15. आदेश की वैधता - यह आदेश, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिये, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 और इसके संशोधन के साथ संयुक्त रूप से प्रवृत्त रहेगा."

No.F 4-14/Food/2017/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with Notification of the Government of India No. G. S. R. 800, dated 9th June, 1978 and No. G. S. R. 929 (E), dated 29-09-2016, with the prior concurrence of the Central Government, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction of Hoarding) Order, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said order,-

For paragraph 15, the following shall be substituted, namely :-

"15. Validity of the order - This order shall remain in force jointly with the Removal of Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restriction on Specified Food Stuffs Order, 2016 and its amendment issued by the Government of India, from time to time, for the commodities specified in Schedule-1."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.